भारत सरकार
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
विद्युत निरीक्षण प्रभाग
पश्चिमी खण्ड-2, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली 110066

पत्र सं0 सी.ई.आई./2/2002/7610-26 **ज्ञापन सं05/2002** दिनांक 17 दिसम्बर, 2002

विषय : भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 45 के अन्तर्गत विद्युत ठेकेदार एवं विद्युत पर्यवेक्षक के योग्यता प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक इकाईयों की निविदायें बहुधा पंजीकृत/निगमित कार्यालयों से ही की जाती है तथा देश के समस्त विद्युत ठेकेदारों को उसमें भाग लेने की अनुमति होती है भले ही कार्य देश के किसी भी हिस्से में होना हो । विद्युत ठेकेदारों के पास बहुधा किसी विशेष प्रदेश का लाईसेंस होता है तथा अनेक मामलों में यह देखा गया है कि जिस प्रदेश में कार्य हो रहा होता है उस प्रदेश का लाईसेंस नहीं होता है । ऐसी स्थिति में विद्युत ठेकेदार को उसी प्रदेश का जहां कार्य करना है, का अलग से विद्युत लाईसेंस लेने में कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा कार्य सम्पन्न होने में भी विलम्ब होने की संभावना रहती है ।

उपरोक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रदेश का उपयुक्त विभव का विद्युत लाईसेंस एवं विद्युत पर्वेक्षक प्रमाण-पत्र भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 45 के अन्तर्गत देश के किसी भी प्रदेश में इस कार्यालय एवं इस कार्यालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय निरीक्षण संगठनों द्वारा निरीक्षण में मान्य माना जायेगा ।

अतः भविष्य में इस ज्ञापन की अनुपालना सुनिश्चित की जाये ।

प्रहलाद अग्रवाल
(प्रहलाद शरण अग्रवाल)
मुख्य अभियंता (वि.नि.) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक, भारत सरकार

अधीक्षण अभियंता, क्षेत्रीय निरीक्षण संगठन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली/चैनई/गोवा
उपनिदेशक, क्षेत्रीय निरीक्षण संगठन, नानग्रिम हिल्स, शिलांग

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. कार्यकारी निदेशक, पावरग्रिड, फरीदाबाद/जम्मू/पटना/हैदराबाद/बेंगलौर/नागपुर/शिलांग
2. कार्यकारी निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोयडा/उत्तर क्षेत्र मुख्यालय लखनऊ/दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, सिकन्दराबाद/पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय, मुम्बई

17/12